

30-1-20 पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित।

न्यायालय द्वारा न्यायालय सभाग में
तीन बार रुक रुक कर आवाज लुगावकी
गई किन्तु वादी प्रकरण में पेश्वरी
हेतु उपस्थित नहीं है। लिखते प्रतीत
होगा है कि वादी अपने वाद के प्रती
गम्भीर नहीं है एवं प्रकरण में आगे
कार्यवही नहीं चलाना चाहते हैं।

अतः वादी के अनुपस्थित रहने तथा
प्रकरण में पेश्वरी नहीं करने से वादी
का वाद अल्प हाजिर व अल्प पेश्वरी
में खारिज किया जा रहा है।
पत्रावली फौजल शुभाह है।

MASH
उपखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

